/ क्र.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 49 / 2022 / दावा 136 एलआरएक्ट

सुरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र जेत सिंह जाति राजपुत निवासी बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक– 14.06.2022**

1. वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि ख.नं. 105, 106, 285 कुल किता 3 कुल रकबा 5.0900 हैक्टर ग्राम बल्लुपुरा पटवार हल्का कैलाश भू.अभि.नि. क्षेत्र बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी के पिता का नाम जेठूसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह दर्ज है, उक्त भूमियों में वादी के पिता का जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में दर्जानुसार हक हिस्सा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से प्रमाणित है। वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम जेत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह है, जो वादी के पिता जेत सिंह के सर्विस रिकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में वादी के पिता का नाम जेत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से जेत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के स्थान पर जेठू सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह दर्ज हुआ है जो गलत है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम जेत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह है तथा जेत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह व जेठूसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह एक ही पुरूष है जो संशोधन किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 105, 106, 285 कुल किता 3 कुल रकबा 5.0900 हैक्टर ग्राम बल्लुपुरा पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के पिता का नाम जेठु सिंह पुत्र पृथ्वी सिह के स्थान पर वादी के पिता का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

सही व वास्तविक नाम जेत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के पिता का नाम जेठु सिंह पुत्र पृथ्वी सिह के स्थान पर वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम जेत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी अनुसार ग्राम बल्लुपुरा जमाबन्दी के खाता संख्या 74 में जेठुसिंह पुत्र पृथ्वीसिह हि. 1/4 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार ग्राम पंचायत बाज्यावास से जारी प्रमाण में जेठूसिह पुत्र पृथ्वीसिंह को जेतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार जेठूसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह कि मृत्यु हो चूकी है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार शुद्वि किये जाने की अभिशंषा की है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 105, 106, 285 कुल किता 3 कुल रकबा 5.0900 हैक्टर ग्राम बल्लुपुरा पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी के पिता का नाम जेठुसिह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर वादी के पिता का सही व वास्तिविक नाम जेतसिह पुत्र पृथ्वीसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/6/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

सुरेन्द्रसिंह बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 49 / दावा सन् 2022 निर्णय दिनांक 14.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफ़िसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी श्री हरदेवाराम सुण्डा मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 105, 106, 285 कुल किता 3 कुल रकबा 5.0900 हैक्टर ग्राम बल्लुपुरा पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ ,जिला सीकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के पिता का नाम जेठुसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर वादी के पिता का सही व वास्तिविक नाम जेतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.06.2022 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

मोहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत ...	--	--	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	--	--	खर्चा गवाहान ...		
खर्चा गवाहान ...	--	--	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर ...	--	--	बाबत इजराय हुक्मनामा ...		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	--	--	मुतफर्रिक ...	0	00
मुतफर्रिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़